

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक  
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/ 257

दिनांक:- 01.10.2025


प्रकरण सं.:-

225/2025

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... दाबां ..... व मू.अ.  
नि..... कुंजिया व दाबां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर  
राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... कुंजिया व दाबां  
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 में खाता संख्या 292, 21 एवं 432  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	कुंजिया	292	2068/1588	धमराम/कोहलाराम	धमराम
		21	1591/1116	विद्याराम/धमराम 3/0 कोहलाराम	पुत्र कोहलाराम
2	दाबां	432	1557/557	विद्याराम/धमराम 3/0 कोहलाराम	कोहलाराम



(समदरसिंह भाटी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर सिणधरी

क्रमांक:- सम./2025/ 258-259

दिनांक:- 01.10.2025

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी ..... धमराम कोहलाराम ..... सिणधरी की सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।





उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी